

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

**GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (REVENUE-I) DEPARTMENT
DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE, NEW DELHI-110002**

No.F3(36)/Fin(Rev-I)/2020-21/DS- IV / 66

Dated: 28/8/20

Notification No 17/2020- State Tax

No. F.3 (36)/Fin (Rev-I)/2020-21/DS-IV/ - In exercise of the powers conferred by sub-section (6D) of section 25 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby notifies that the provisions of sub-section (6B) or sub-section (6C) of the said Act shall not apply to a person who is not a citizen of India or to a class of persons other than the following class of persons, namely:-

- (a) Individual;
- (b) authorised signatory of all types;
- (c) Managing and Authorised partner; and
- (d) Karta of an Hindu undivided family.

2. This notification shall come into effect from the 1st day of April, 2020.

By order and in the name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,



(Sunil Sehgal)
Dy. Secretary IV (Finance)

No.F3(36)/Fin(Rev-I)/2020-21/DS- IV / 66

Dated: 28/8/20

Copy forwarded for information to:-

1. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi
2. The Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
3. The Commissioner, State Tax, Delhi, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
4. The Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.
5. The Additional Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P Estate, New Delhi

6. The Secretary to Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
7. The Additional Secretary (Law), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
8. The P.S. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
9. OSD to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
10. Guard File.
11. Website.



(Sunil Sehgal)
Dy. Secretary IV (Finance)

IndiaCode

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग चार में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वित्त (राजस्व-I) विभाग
दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002

सं.फा. 3(36)/वित्त(राजस्व-I)/2020-21/डीएस-IV /66

दिनांक: 28/8/20

अधिसूचना संख्या 17/2020-राज्य कर

सं.फा. 3(36)/वित्त(राजस्व-I)/2020-21/डीएस-IV / : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 25 की उपधारा (6घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचित करते हैं कि उपधारा (6ख) या उपधारा (6ग) के उपबंध वह व्यक्ति, जो भारत का नागरिक नहीं है, और निम्नलिखित व्यक्तियों के वर्ग, से भिन्न व्यक्तियों के वर्ग पर लागू नहीं होंगे, अर्थात् :-

- (क) व्यक्ति;
- (ख) सभी प्रकार के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता;
- (ग) प्रबंध और प्राधिकृत भागीदार; और
- (घ) किसी हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब का कर्ता।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2020 से प्रवृत्त होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर



(सुनील सहगल)
उप सचिव- IV (वित्त)

सं.फा. 3(36)/वित्त(राजस्व-I)/2020-21/डीएस-IV /66

दिनांक: 28/8/20

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित:

1. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली।
2. सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली।
3. आयुक्त, राज्य कर, दिल्ली, व्यापार भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली।
4. सचिव (सामान्य प्रशासन), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र के भाग - चार (असाधारण) में

प्रकाशनार्थ।

5. माननीय मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
6. वित्त मंत्री के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई. पी. इस्टेट, नई दिल्ली।
7. अतिरिक्त सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
8. निजी सचिव, नेता प्रतिपक्ष, 29, दिल्ली विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
9. मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
10. गार्ड फाइल।
- ✓ 11. वेब साइट।



(सुनील सहगल)
उप सचिव— IV (वित्त)

IndiaCode